महत्वपूर्ण

संख्याः 368 / 131 / स0ग्रा0वि0वि0 / एस0ए0जी0वाई0 / 14

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समग्र ग्राम विकास विभाग

लखनऊ : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2014

विषय : सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी की जयन्ती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2014 को देश में स्थानीय स्तर पर भागीदारीपूर्ण विकास के दृष्टिकोण से सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मात्र अवसंरचना विकास करने के अलावा गांव में और उसकी जनता के मन में कतिपय नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना है, ताकि वे अन्य लोगों के लिए मॉडल बन सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत एस0ए0जी0वाई0 के दिशा–निर्देश संलग्न किए जा रहे हैं। जनपद स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी जिलाधिकारी होंगे।

2– इस योजना के अन्तर्गत सबसे पहले मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम प्रति संसद सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से एक आदर्श ग्राम का चयन प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा 15–11–2014 तक किया जाना है, जिसे आदर्श ग्राम बनाए जाने का कार्य वर्ष 2016 तक पूर्ण किया जाएगा। इस निमित्त जिलाधिकारी द्वारा संसद सदस्यों (लोक सभा व राज्य सभा) से सम्पर्क कर आदर्श ग्राम के चयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त करते हुए यथासम्भव 15–11–2014 तक तथा विलम्बतम 30–11–2014 तक आदर्श ग्रामों का चयन सुनिश्चित कराते हुए शासन को अवगत कराया जाएगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी। मैदानी क्षेत्रों में चयनित ग्राम पंचायत की आबादी 3000–5000 और पर्वतीय, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000–3000 होगी। संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने खुद के या अपनी दंपत्ति (Spouse) के गाँव के अलावा किसी उपयुक्त ग्राम पंचायत का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4– इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा व सुशासन, इस प्रकार 8 प्रकार के कार्यकलाप संचालित किए जाएंगे।

5– प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत के लिए एक ग्रामीण विकास योजना (वी0डी0पी0) तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण विकास योजना की स्वीकृति, जिला स्तर पर गठित

जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी। जिला स्तरीय समिति के गठन के सम्बन्ध में पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।

6– इस योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु पहले चरण में जनपद स्तर पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों एवं शिविरों का आयोजन किया जाएगा। दूसरे चरण में बेसलाइन सर्वे किसी विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सी के माध्यम से कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थिति का भागीदारीपूर्ण विश्लेक्षण प्रशिक्षित सहायता कर्ताओं को शामिल करते हुए स्थानीय समुदाय के माध्यम से कराया जाएगा। जिसके अन्तर्गत विभिन्न तकनीकें जैसे, सोशल मैप, संसाधन मैपिंग तथा नीड्स मैट्रिक्स प्रयोग की जा सकती हैं।

7– इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत में संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों द्वारा ही किया जाएगा। जिलाधिकारी लोगों की वरीयता प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम विकास योजना (वी0डी0पी0) तैयार करने के लिए एक कार्यसमूह का गठन करेगा, जिसमें सरकारी अधिकारी और बाहरी व्यवसायिक एवं विषय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

8– चयनित ग्राम पंचायत में योजना के प्रथम चरण के कार्यकलापों का आरम्भ 31 जनवरी, 2015 तक, ग्राम विकास योजना (वी0डी0पी0) की तैयारी का समापन 31 मई, 2015 तक तथा कार्ययोजना के अनुसार कार्यकलापों का आरम्भ 31 जुलाई, 2015 से जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है।

9– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा तथा राज्य स्तर पर उक्त योजना के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व समग्र ग्राम विकास विभाग का होगा। राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी श्री नरेश बहादुर, संयुक्त सचिव, समग्र ग्राम विकास विभाग होंगे, जिनका दूरभाष संख्या– 9454412237, 0522–2239615 तथा ईमेल – naresh22.bahadur@gmail.com है।

10– इस योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जनपद स्तर पर सम्बन्धित कार्मिकों तथा ग्रामवासियों का उपयुक्त क्षमता विकास किया जाना होगा, जिसके लिए विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इस प्रकार के कार्य राज्य स्तर पर राज्य ग्राम्य विकास संस्थानों (एसआईआरडी) के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एन0आई0आर0डी0 एण्ड पी0आर0), हैदराबाद द्वारा कराए जायेंगे।

11– इस योजना के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। प्रथम, संचालित कार्यक्रमों के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी के नए उपायों का प्रयोग किया जाना तथा द्वितीय, निजी स्वयंसेवी और सहकारी क्षेत्रों की शक्तियों का सक्रियता से इस्तेमाल कर जनसहभागिता सुनिश्चित किया जाना। इस योजना के सभी पहलुओं और घटकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पृथक रियल टाइम वेब आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी।

12– जनपद स्तर पर जिलाधिकारी योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यदायी विभागों के साथ प्रत्येक माह समीक्षा बैठक करेंगे। उक्त बैठक की अध्यक्षता सम्बन्धित संसद सदस्यगण द्वारा की जाएगी। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रधान भी उक्त बैठक में आमंत्रित किए जाएंगे। जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सक्षम प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा, जो स्थानीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा और वह इस कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

13– इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी के मुख्यतया निम्न दायित्व होंगे :–

1. बेस लाइन सर्वे कराना।
2. ग्राम के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार करने में मदद करना।
3. संगत योजनाओं से तालमेल करना।
4. सभी सम्बन्धित विभागों में इस योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना।
5. हर महीने प्रगति की समीक्षा करके रिपार्ट राज्य और भारत सरकार को भेजना।
6. सम्बन्धित योजना के दिशा–निर्देशों में निर्धारित शिकायत निपटाने और स्वतः प्रकटीकरण मानकों का अनुपालन करना।
7. प्रगति का जायजा लेने के लिए समय–समय पर कार्यस्थलों के दौरों की व्यवस्था करना।

14– इस योजना में शामिल की जाने वाली राज्य योजनाओं की संख्या और विभिन्न राज्यों में केंद्र द्वारा प्रायोजित अलग–अलग कार्यक्रमों की कार्यान्वयन संरचनाओं की भिन्नता को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकार–प्राप्त समिति गठित की जाएगी। इसमें संचालित कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सम्मिलित होंगे और आवश्यकता पड़ने पर इसमें विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें सिविल सोसाइटी के कम से कम दो प्रतिनिधि होंगे। समग्र ग्राम विकास विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव संयोजक–सदस्य होंगे। इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति के गठन हेतु पृथक से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं।

15– इस योजना से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश व अन्य जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट http://saanjhi.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्याः /131/स0ग्रा0वि0वि0/एस0ए0जी0वाई0/14 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
6– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7– महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9– समग्र ग्राम विकास अनुभाग।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।